विविध बैंक प्रकरण सं0 31/2016(RCMS : 2016/00081) बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृजलाल अग्रवाल दुकान नं. 38, न्यू धान मण्डी, रायसिंहनगर 2. श्री मुकेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुखदर्शन कुमार अग्रवाल निवासी प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री गुरचरण सिंह का कथन था कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल को दिनांक 23.12.2013 को 30,00,000/–रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री सुखदर्शन कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37(नया मुरब्बा नबम्बर 7), चक 25 पीएस''बी'', रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी ऋणी मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी फर्म ऋणी मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल का ऋण खाता दिनांक 24.12.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणीं के नाम दिनांक 30.11.2015 को कुल 30,29,712/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। अप्रार्थी ऋणी मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी – प्रो. श्री सुखदार्शन कुमार अग्रवाल एवं गारंटर श्री मुकेश कुमार अग्रवाल को बकाया ऋणी राशि मय ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाने के लिए धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 24.12.2015 को जारी किया

21.8.18
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

गये। उक्त नोटिस तामील के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र के साथ वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37(नया मुरब्बा नबम्बर 7), चक 25 पीएस"बी", रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक ऋण की एवज में रखी गई मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37(नया मुरब्बा नबम्बर 7), चक 25 पीएस"बी", रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) का कब्जा दिलाने के लिए दो प्रकरण प्रस्तुत किये है। **पहला प्रकरण प्रार्थी बैंक द्वारा 14.03.2016 को प्रस्तुत किया गया है एवं दूसरा प्रकरण प्रार्थी बैंक द्वारा 05.06.2018 को प्रस्तुत किया गया है।** चूंकि दोनों प्रकरण एक ही सम्पत्ति अप्रार्थी ऋणी फर्म मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल को दिनांक 28.12.2013 को दी गई ऋण सुविधा 30.00 लाख रूपये से सम्बन्धित है।

सा/-
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त दोनों प्रकरण अलग अलग एक ही ऋणी के विरूद्ध पेश किये है। पूर्व के प्रकरण 31/2016 के लम्बित रहते पुनः धारा 14 का नया प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2018 को पेश किया है। अब चूंकि दोनों मामले धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत पेश है जबकि दोनों में मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल एक ही ऋणी है और बंधक रखी गई सम्पत्ति भी एक ही है। इसलिए इन दोनों प्रकरणों का एक साथ निस्तारण करना उचित होगा। अतः बाद में दिनांक 29.05.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 इसके साथ शामिल किया जाता है और इसी निर्णय से ही निर्णित समझा जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल को दिनांक 23.12.2013 को ऋण सुविधा के रूप में 30,00,000/–रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) की ऋण राशि स्वीकृत की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी फर्म मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37(नया मुरब्बा नबम्बर 7), चक 25 पीएस''बी'', रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 29.10.2015 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 30.11.2015 को कुल 30,29,712/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 24.12.2015 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। इसीप्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 29.05.2018 को पेश किये गये धारा 14 के द्वितीय प्रार्थना पत्र में भी ऋणी को उक्त ऋण की बकाया ऋण राशि जिसका खाता दिनांक 28.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित किया जाकर दिनांक 30.06.2017 को कुल 29,98,109/– रूपये ऋण राशि एवं इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाने हेतु धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 08.11.2017 को ऋणी व गारंटर को जारी किया गया। जिस पर नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऋणी एवं गारंटर के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई हैं और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा पुनः वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.12.2015 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 24.12.2015 एवं दिनांक 08.11.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल–ऋणी एवं श्री मुकेश कुमार अग्रवाल – गारंटर को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है। पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे शामिल है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दिनांक 24.12.2015 के धारा 13(2) के नोटिस की तामील की पुष्टि संलग्न पोस्ट ऑफिस की एडी रसीद से होती है एवं पुनः उसका ऋण खाता दिनांक 28.09.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित करके बकाया राशि जमा करवाने हेतु धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 08.11.2017 पर प्राप्ति के परिणामस्वरूप **मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल–ऋणी एवं श्री मुकेश कुमार अग्रवाल–गारंटर स्वयं के हस्ताक्षर है।** जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणी एवं गारंटर ने धारा 13(2) के जारी उक्त नोटिसों की तामील के बावजूद भी ऋण की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिसों पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी द्वारा बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जाना आवश्यक हैं।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा श्री सुखदर्शन कुमार की सम्पत्ति प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37(नया मुरब्बा नबम्बर 7), चक 25 पीएस''बी'', रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति **निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित** है। जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

अतः प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी ऋणी **मैसर्स सुखदर्शन कुमार एण्ड कम्पनी –प्रो. सुखदर्शन कुमार अग्रवाल** द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त **सम्पत्ति**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्लॉट नं 19, वार्ड नं 02, ब्राह्मण सभा रोड, रायसिंहनगर वाके किला नं 16, मुरब्बा नम्बर 37 (नया मुरब्बा नम्बर 7), चक 25 पीएस"बी", रायसिंहनगर स्थित आवासीय कॉर्नर सम्पत्ति (क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट) का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त रवि कुमार की सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाने के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर